निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 393) पटना, सोमवार, 15 मई 2023

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

15 मई, 2023

सं० 10/ई0–नियमावली–34/2023/**3213**——रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (निबंधन एवं अन्य संबंधित विधि (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) की धारा– 69 की उप धारा (1) खण्ड (क) एवं (क क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबंधन महानिरीक्षक, बिहार सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–**
   1. यह नियमावली बिहार रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2023 कहलाएगी।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2008 के नियम–6 के उप नियम–1 में पक्षकारों के बाद ***"को स्वतंत्रा होगी कि वे"*** *को विलोपित किया जाता है तथा रोयाल एक्जिक्यूटिव बॉण्ड कागज पर के बाद* ***"विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकित प्रति में तैयार करेंगें"*** *को जोड़ा जाता है तथा उसके बाद का शब्द* ***"करावे"*** *को विलोपित किया जाता है।*
3. उप नियम (2) में दस्तावेज लिखे जाने का उपबंध किया गया है के बाद ***"लाइसेंस प्राप्त दस्तावेज लेखकों के अतिरिक्त अधिवक्ता वकील एवं मुख्तार के द्वारा दस्तावेज विभाग द्वारा अनुमोदित मॉडल प्रारूप की टंकित प्रति में तैयार करेंगें"*** जोड़ा जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0 पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

15 मई, 2023

सं० 10/ई0–नियमावली–34/2023/**3213** का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0के0 पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 15th May 2023

No. 10/ई0–नियमावली–34/2023/**3213**——In exercise of the Power conferred by clause (a) and (aa) of sub-section (1) of section- 69 of the Registration Act, 1908 (as amended by the Registration and other related laws (Amendment) Act, 2001 the Inspector General of Registration with the approval of the Government of Bihar makes following Rules: -

Bihar Registration (Amendment) Rule, 2023

1. Short title, extent and commencement: -

1. These rules may be called the Bihar Registration (Amendment) Rules, 2023.
2. It shall extend to the whole of the state of Bihar.
3. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

2. In sub rule (1) of rule 6 of the Bihar Registration Rules, 2008, after parties "shall be at liberty to" is deleted and after the Royale Executive Bond on paper, "will prepare documents in the computer typed copy of the model format approved by the department" is added and after that the word" the get" is deleted.

3. In sub rule (2) after this purpose "In addition to the licensed document writers, the documents shall be prepared by advocates, pleaders and mukhtars in typed copy of the model format approved by the department" is added.

by order of the Governor of Bihar,
K.K Pathak,
Additional Chief Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 393-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in